

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 01/2017

अपील पुत्र श्रवणराम जाति मीणा निवासी ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू
— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनू जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.09.2016 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी राजस्थान
सरकार बनाम कैलाश मु.न. 188/2015 अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अवस्थिति :-

1. श्री अमित शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.02.2021

अपील पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 26.09.2016 के
विरुद्ध नया प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5
पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से
दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :-
अपीलान्त ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 3.66
हेक्टर (वत खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिचारी नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका
वैधिक कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 237
में से अपीलान्त को तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दिनांक 26.12.1974 को पट्टा जारी किया गया
था किन्तु पर विधिक रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलार्थी काबिज है। माननीय राजस्थान उच्च

द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में अतिक्रमण के विरुद्ध की जा सकती है, परन्तु पट्टेधारी के विरुद्ध नहीं की जा सकती। (2006(1) डी.एन.जे.(राज) 164)। अपीलान्त विवादित भूखण्ड पर विधिनिनूसांर पट्टा प्राप्त कर गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज है तथा इस भूखण्ड के अतिरिक्त अपीलान्त के पास अन्य कोई भूमि नहीं है तथा यह भूमिहीन वर्ग से है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखन का तथा उसे सुने जाने का दुर्ग अधिकार है। परन्तु अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से बसे हुये अपीलान्त वगैरह क परिवारों को अतिक्रमण करने का आदेश कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.09.2016 को अपास्त किया जावें।

बहस उमय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान नजीर न्यायाधीश डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तथा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 23.01.2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में उक्त तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि अपीलान्त ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 3.66 हैक्टर (गत खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिक्रमण नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका विधिक कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 237 में से अपीलान्त को तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दिनांक 26.12.1974 को पट्टा जारी किया गया था, जिस पर विधिक रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलार्थी काबिज है। अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, प्रस्तुत नजीर में इसका साफ अंकन है कि पट्टेधारी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण विवादित आराजी पर नहीं किया है। अपीलार्थी का 30 वर्षों से भी अधिक समय से नैके पर काबिज है तथा अपीलार्थी भूमिहीन वर्ग से है। अदालत मातहत ने प्रकरण में उक्त तथ्यों की जांच किये बगैर निराधार आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत आदेश दिनांक 26.09.2016 को अतिक्रमण किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि गैर मुमकीन चारागाह की भूमि है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्त ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण करने का आदेश दिये है। अपीलान्त द्वारा जिस पट्टे की भूमि पर अपना कब्जा बताया है, वह पट्टा उक्त भूमि के न होकर अन्यत्र भूमि के है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के दिनांक 23.01.2020 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को विधिक प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण करने के निर्देश दिये गये है। अदालत मातहत ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को अपील खारिज फरमाई जावें।


(Handwritten signature)
 न्यायाधीश झुंझुनू

का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है

परीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है कि अपीलार्थी को जारी तथाकथित मू-भाग का है इसका अंकन पट्टे में नहीं है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को गैर मुमकीन चारागाह की भूमि में 0.08 हैक्टर पर अतिक्रमी माना है। अपीलार्थी ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी तहसीलदार द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर काबिज है तथा 30 वर्षों से वह विवादित आराजी पर आबाद है। इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थी ने नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम राज्य राजस्थान प्रस्तुत की, जिसके अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर कस्टोडियन यानी नजूल किस्म की भूमि के संदर्भ में है तथा अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में अतिक्रमण की गई भूमि को आबादी हेतु आवंटित की गई भूमि से अलग माना है। अपीलार्थी सहमत है क्योंकि आवंटन की गई भूमि जोहड़ थी तथा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। इससे यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की भूमि अलग है तथा वर्तमान में किये गये अतिक्रमण कि भूमि अलग है। अपीलार्थी ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो गैर मुमकीन भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत अतिक्रमण है, जिसका वर्तमान में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्कों की परिदृश्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चर्चा नहीं होती है।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन आदेश की बजाय अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत द्वारा निर्णय इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू अदालत दिनांक 23.01.2020 के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश करें। पत्रवली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उमर दीन खान
जिला कलक्टर,
झुंझुनू
08/02/21